न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

दावा सं.:—198 / 2004

लक्षमन पुत्र गुलावसिंह जाति ब्राहमण निवासी मडरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र गुलावसिंह जाति ब्राहमण निवासी मडरपुर तहसील व जिला भरतपुर।
2. सुर्दशन उर्फ मुन्ने पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी मडरपुर तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी जीवन निर्माण चौराहा आई.जी. ऑफिस के पीछे भरतपुर।
3. धर्मेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी मडरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांकः—14.08.2018

वादीगण ने जारिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 377 / 730 / 0.28 एयर व 377 / 731 / 0.17 वाके ग्राम मडरपुर में स्थित है जिस पर वादी का कब्जा व काश्त है तथा वादी के नाम पटवार रिकोर्ड में वहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है। लेकिन प्रतिवादीगण सं.1 लगायत 3 बदमाश व लठैत व्यक्ति है जो वादी के साथ आये दिन झगडा करते रहते है वादी के कब्जे काश्त की भूमि मे इस वर्ष ढेंचा की फसल सरसब्ज खडी हुयी है। वादी अकेला व कमजोर प्रकृति का व्यक्ति है। इसलिये वादी को आये दिन प्रतिवादीगण परेशान व तंग करते रहते है तथा वादी के कब्जे काश्त की

भूमि के खडी ढेंचा की फसल को बरवाद करने पर तुले हुये है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है।

वादी की खातेदारी व काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर पर मदाखलत व मजाहमत न करे। प्रतिवादीगण ने वादी को सरे आम ग्राम मडरपुर में यह धमकी दी है कि वादी के कब्जे काश्त में व खातेदारी की भूमि में ढेंचा की फसल को बरवाद कर देगे। अगर प्रतिवादीगण अपने इरादे मे सफल हो गये तो वादी बरवाद हो जावेगा।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मडरपुर तहसील भरतपुर स्थित आराजी ख.नं. 377/730/0.28 एवं 377/731/0.17 पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादी की कब्ज काश्त खातेदारी की आरी में मदाखलत मजाहमत न करें ना ही फसल को खुर्द बुर्द करे। वादी को उक्त आराजी पर काश्त करने से नहीं रोके। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जमाबंदी संवत 2059–2062 की नकल पेश की है।

दावा दर्ज राजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आए और दिनांक 23.02.2005 को अपना जवाब दावा पेश किया । तत्पश्चात् कायम की गई–

1.तनकी नं.1– " आया वादी आ.ख.नं. 377/730/0.28, 377/731/0.17 वाके ग्राम मडरपुर की काबिज खातेदार काश्तकार है ? "

2.तनकी नं.2– " आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आ. मुतनाजा की बाबत डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी का आदेश करा पाने का मुश्तहक है ? "

3.तनकी नं.3– " आया वादी का मुतनाजा पर कोई कब्जा व काश्त नही है ? "

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. दादरसी ? दावा में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में गवाह लक्षमन का शपथ–पत्र पी.डब्लू 1 पेश हुआ। अन्य साक्ष्य न आने पर दिनांक 30.05.2016 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। लेकिन कई अवसर देने के बाबजूद भी साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर दिनांक 06.11.2017 को साक्ष्य प्रतिवादी भी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी बहस पर मनन किया। पत्रावली अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की गहनता से अध्ययन किया। तनकी वाइज विवेचन निम्न प्रकार है–

1.तनकी नं.1– **" आया वादी आ.ख.नं. 377/730/0.28, 377/731/0.17 वाके ग्राम मडरपुर की काबिज खातेदार काश्तकार है ? "** इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी का है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत 2059–2062 की पेश की है जिसके अनुसार वादी ग्रस्त आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है। अभिलिखित खातेदार होने से यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2.तनकी नं. 2– **" आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा की बाबत डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी का आदेश करा पाने का अधिकारी है। "** इस तनकी को भी सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी व प्रतिवादी सं.1 सगे भाई है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में स्वयं के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वाद ग्रस्त आराजी उनके फूफा से वादी के नाम आई है। वादी वर्तमान में उक्त अराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं होने से आराजी में दखलंदाजी करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। अतः यह तनकी भी वहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

3.तनकी नं.3– **" आया वादीगण का मुतनाजा पर कोई कब्जा व काश्त नही है – इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का है। "** पत्रावली पर उपलब्ध

दस्तावेजी साक्ष्य से वादी वाद ग्रस्त आरजी का रिकार्डेड खातेदार है और एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से आराजी पर कब्जा भी उसी का माना जावेगा। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा तनकी के समर्थन में ऐसी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अपना कब्जा सिद्ध करने बाबत प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः यह तनकी भी बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

दादरसीः— उपरोक्त विवेचनानुसार वाद ग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। अतः दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि—

दावा वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम मडरपुर तहसीलदार स्थित वादी को कब्जे काश्त के आ.ख.नं. 377/730/0.28, 377/731/0.17 पर मदाखलत, मजाहमत नहीं करें व वादी को उक्त आराजी पर काश्त से नहीं रोके। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official